

अनिल कुमार  
इतिहास विभाग, आरबीजीओआरओकेएन  
महाराजगंज सिवान

भूमि अनुदान - पूर्व मध्य काल की एक अवस्था (शेष भाग)

अतः ऐसा भू-अनुदान देते ही सिंचित क्षेत्र में दिया जाता था। यही कारण है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के बीच किनारे ब्राह्मण वस्तियां अधिक पायी जाती हैं। इस तरह ब्रह्मदेय दान से ब्राह्मणों में भी कृषक अनुदान का उदय होने लगा और इनमें भी बड़े-बड़े भूस्वामी उत्पन्न होने लगे।

तृतीय प्रकार का भू-अनुदान देवदान और - परिहार भूमि प्रायः मठ-मंदिर को दिया जाता था। इस प्रकार के भूदान में जमिन के सहित उस पर बसे गाँव, जंगल पहाड़ का भी हवामित्व मठ मंदिर को दे दिया जाता था। परिहार सभी मठ मंदिरों को नहीं, बल्कि खास कर जनजाति और निचली शूद्र जाति प्रधान क्षेत्रों में उन पर शासन करने के लिए बड़े मठ और मंदिरों को दिया जाता था। अतः ये मठमंदिर देहे केन्द्र बिन्दुओं पर बनाये जाते थे, जो जनजातियों और शूद्रों को स्वर्ण जातियों की संस्कृति से जोड़कर उनमें नये धार्मिक विचारों और देवी-देवता के पूजन को प्रचलित कर उन्हें स्वर्ण संस्कृति का अंग बना सकें। अतः देव दान के साथ अग्रहार भूमि और ब्राह्मण देव भूमि के आस-पास या उसके बीच दिया जाता था और उस पर खेती आदि की देख-रेख पहले गैर-ब्राह्मण ग्राम प्रधान या उसके पंचायती सभा के द्वारा कराया जाता था। फिर बाद में मठ-मंदिर के पुजारी स्वयं करने लगे थे। इस तरह परिहार से मठ-मंदिरों की जमीन की देख-रेख के लिए ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण भूपति का पैदा किया गया था। फलतः यहाँ भी मठ-मंदिर जो राज्य के अन्तर्गत सामन्ती राज्य का रूप ग्रहण कर लिया था, के मर्हथ और जौतदार के बीच विचोलीया भूपति का पैदा हो लिया था।

इस प्रकार उपरोक्त कथनों के तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्रहार राजकीय सेवा में वेतन की जगह दिया जाता था। ब्रह्मदेय भूमि भी बारह वर्ष तक ही कर मुक्त रखा जाता था उसके बाद उसे अग्रहार में बदला जाने लगा। फलतः ब्राह्मणों की भी राज्य की सैन्य अथवा अन्य सेवा कानी पड़ती थी। देवदान की छूट सीमा निर्धारित किया जाने लगा।



महावली राजा अपने अधिनस्थ राजा और सामंतों पर सेवा तथा नजराना का भार बढ़ाने लगा। इस तरह प्रभु के उपर वाला नीचे वालों का शोषण करना शुरू किया था। अतः सभी दलबलों का अन्तिम भार किसानों पर आ गिरने से समाज में एक व्यापक तनाव उत्पन्न होना स्वभाविक हो गया। निचली जाति के भूस्वामित्व खोने जाने के आक्रोश को सामना करने की क्षमता तथा कथित महावली और उसकी सेना में नहीं थी। ये शिकारी और पशुपालक लोग स्वभाव से लठ्ठपार थे। समुद्रगुप्त जैसा महावली आवली (जंगली) लोगों को सेना में नियुक्त कर चालीस भुट्ट जीता था। प्रारंभिक मध्यकाल के अधिकांश महावली शासक की भी जातीय वृण्भूमि निचली जाति की थी। इसलिए वे उसकी शक्ति से परिचित थे। अतः उससे सीधे टकराने की जगह धर्म का सहारा लिया गया था और इस काम को ब्राह्मण और दुसका मठ-मन्दिर ही संभव कर सकता था। अतः एक सोची समझी नीति के तहत ब्राह्मणों और उनके मठ-मंदिरों को दान दिया गया था, ताकि वे निचली जातियों में नई सत्ता की विचारधारा को धर्म के माध्यम से फैला सकें। ब्राह्मणों ने तबूबी इस काम को किया था।

इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकालीन ब्राह्मणों का

शुंभ और महावलियों का अनुदान पत्र भू-अनुदान की महत्ता की विचारधारा से ओत-प्रोत है। भू-अनुदान को सर्वोत्तम दान घोषित किया गया था। पुराणों, महाकाव्यों, ग्रन्थ, गरुड पुराण, में एवं स्मृतियों में भू-अनुदान का महिमा मंडन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यही कारण है कि भारतीय समाज में अब भी शूद्र और सभी जातियों की जारी जिन्दगी इन्हीं ब्राह्मणों ने शूद्र तुल्य बना दिया था, ब्राह्मण दान और धर्म में अधिक रकम खर्च करते हैं। पूर्व मध्यकाल शासक परिवार निचली जातियों के श्रम और संसाधन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्राह्मण और सभी तरह के सम्प्रदाय के मठ-मंदिरों को भू-अनुदान दे अपने लिए सत्ता के स्थायित्व के समर्थन के लिए एक बौद्धिक को को तैयार किया था, जो निचली जाति के लुटेरे भू-स्वामित्व के आक्रोश की धार को कुन्द ही नहीं किया था बल्कि उसे धर्म की जहर पिलाकर सदा के लिए शान्त कर दिया था। ब्राह्मणों ने भूदान में पापी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा के बदले राजा के लिए काम करने लगे। फलतः निचली जाति के शासक और ब्राह्मण गठबंधन तैयार हुआ। इसी को कुछ इतिहासकारों ने सीमित दायरा में बाँधते हुये ब्राह्मण-राजपूत गठबंधन का नामांकन है।